राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प॰ 9(33)गृह–5/2015 जयपुर, दिनांक : 07.01.2016

परामर्शदात्री (Advisory)

विषयः– खुले बोरवैल/टयुवैल से होने वाले हादसों के रोकथाम के सम्बन्ध में।

यत् यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि प्रदेश में बोरवैल/टयूवैल खुदाई के दौरान या बोरवैल/टयुवैल जो अन्य अवस्थाओं में खुले छोड दिये जाते है जिनसे दुर्घटनाओं या हादसे घटित हो जाते है। खुले बोरवैल/टयुवैल में प्रायः बच्चों के गिरने की संभावनाए अधिक रहती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए विधि सम्मत प्रयास किये जाने चाहिए।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336 में कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, धारा 337 में ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, धारा 338 ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए एवं धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित हो जावे को दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बोरवैल/टयुवैल खुदाई के दौरान या ऐसे बोरवैल जो अन्य अवस्थाओ में खुले छोड दिये जाते है तो उस अवस्था में बोरवैल/टयुवैल के मालिक/ठेकेदार/अन्य व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उक्त प्रावधानों कार्यवाही की जा सकती है।

7/1/16.

(ए. मुखोपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव–गृह

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक रेन्ज।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक।

शासन उप सचिव–सुरक्षा

प्रमाणित

17/1/17

(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव